2 खोज और बचाव

समुदाय की आपदा पूर्व तैयारी और
आपदा से बचाव हेतु परामर्श पुस्तिका

दयाराम की सूझ-बूझ

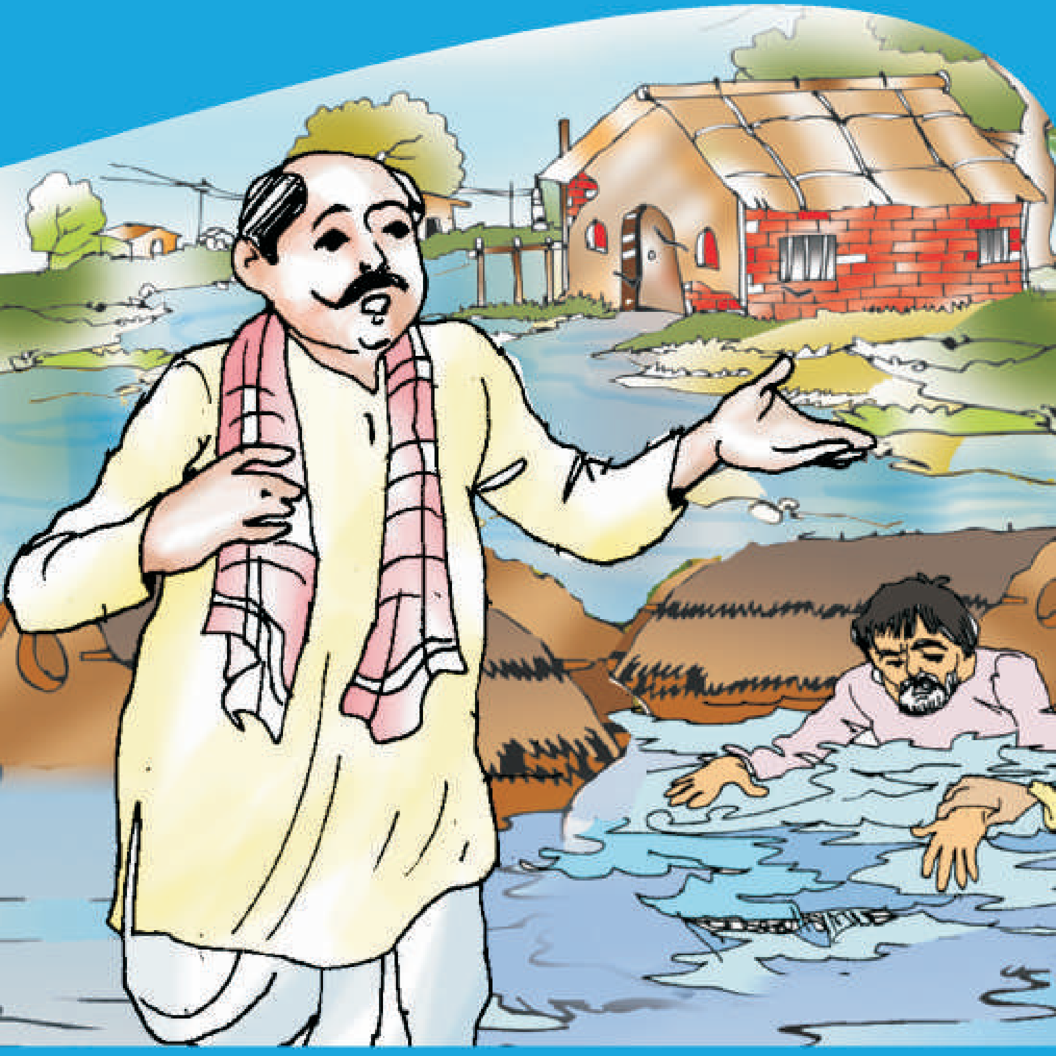

EUROPEAN COMMISSION
Humanitarian Aid

Malteser International
Order of Malta Worldwide Relief

Sahbhagi Shikshan Kendra
A Centre for Participatory Learning

समुदाय की आपदा पूर्व तैयारी और
आपदा से बचाव हेतु परामर्श पुस्तिका

2

दयाराम की सूझ-बूझ

खोज और बचाव

आपदा से बचाव और उसके प्रबन्धन की जानकारी हेतु बैठक

खोजी दयाराम/दयाराम की सूझ-बूझ

खोज और बचाव

राहतपुरवा और दुखनपुरवा दो पड़ोसी गाँव हैं, जो मगरा नदी के किनारे बसे हैं। यह नदी इन दोनों गाँवों के साथ इलाके के कई गाँव में हर साल बाढ़ लाती है। साथ ही नदी का हर साल अपना रास्ता बदलने का भी स्वभाव है । इस कारण कभी बांयीं तरफ तो कभी दांयीं तरफ की खेती योग्य जमीन कट जाती है। करीब बीस साल पहले बाढ़ से बचाव के लिए एक तटबंध बनाया गया था। उससे पहले ये नदी बहुत बड़े इलाके में बाढ़ लाती थी। राहतपुरवा और दुखनपुरवा दोनों गाँवों के हर एक तरफ तटबंध है और दूसरी तरफ नदी या यूँ कहे कि दोनों गाँव नदी और तटबंध के बीच पड़ते हैं। इन दोनों गाँवों की कहानी के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि, दोनों ही गाँवों में आपदा से बचाव और उसके प्रबंधन के बारे में जानकारी देने वाली एक गैर सरकारी संस्था ने सम्पर्क किया था। राहत पुरवा के लोगों ने संस्था की बातों को सुना, समझा और अमल में लाया, जबकि दुखनपुरवा के लोगों ने संस्था की बातों को हवा में उड़ा दिया। इस कहानी में हम जानेंगे कि बाढ़ आने पर दोनों गाँवों में क्या-क्या हुआ। राहतपुरवा में गैर सरकारी संस्था की मदद से पांच विषयों पर लोगों के बीच समझ बनी और इन विषयों पर कार्यदल का गठन किया गया। संस्था द्वारा कार्यदलों के सभी सदस्यों को आपदा प्रबंधन से जुड़े पाँच विषयों (पूर्व चेतावनी, खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, शुद्ध पेयजल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तथा सामाजिक जुड़ाव) पर अलग-अलग प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षणोपरांत कार्यदल के इन सदस्यों ने संस्था द्वारा बताए गए कार्ययोजना के अनुसार आपदा प्रबंधन की दिशा में बाकी कार्यदलों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना प्रारंभ कर दिया।

इस पुस्तिका में हम लोग खोज और बचाव कार्यदल के बारे में जानेंगे। राहतपुरवा खोज और बचाव कार्यदल के एक सदस्य का नाम दयाराम है।

खोज और बचाव कार्यदल का गठन

खोज और बचाव कार्यदल का गठन गैर सरकारी संस्था की मदद से राहतपुरवा विकास समिति की एक बैठक के दौरान किया गया था। इस कार्यदल में शारीरिक रूप से सुदृढ़ लोगों को चयनित किया गया था, दयाराम शारीरिक रूप मजबूत होने के साथ तैरना और नाव चलाना भी जानता है। खोज और बचाव कार्यदल को प्रशिक्षण भी दिया गया। गैर सरकारी संस्था द्वारा विभिन्न पंचायतों के 'खोज और बचाव' कार्यदल के सदस्यों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दयाराम भी शामिल हुए।

दयाराम ने कार्यदल के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर राहतपुरवा में खोज और बचाव कार्य, उसके महत्व के बारे में चर्चा की और खोज बचाव कार्यदल के सदस्यों ने लोगों को समझाया कि किस प्रकार खोज और बचाव कार्यदल आपदा के जोखिम को कम करने में मददगार हैं कई बैठकें करके लोगों से लगातार मिलकर दयाराम और उसके कार्यदल के साथियों ने समुदाय में बताया कि खोज और बचाव कार्य के मुख्य उद्देश्य बताये जैसे–

- किसी भी प्रकार की आपदा या दुर्घटना में फंसे लोगों को खोजना और बाहर निकालना ।

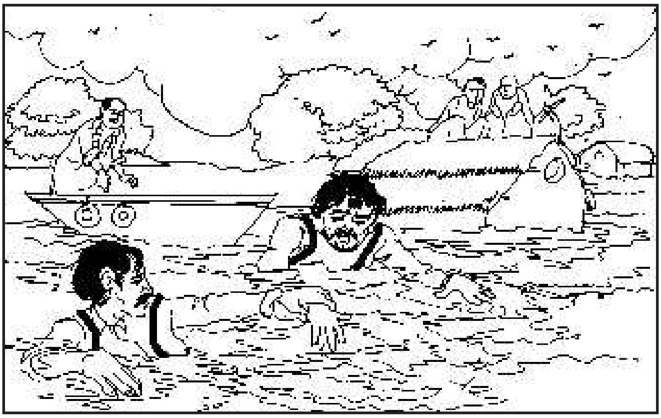

- जरूरत होने पर लोगों के लिए अस्थाई शरण-स्थल की व्यवस्था करना।

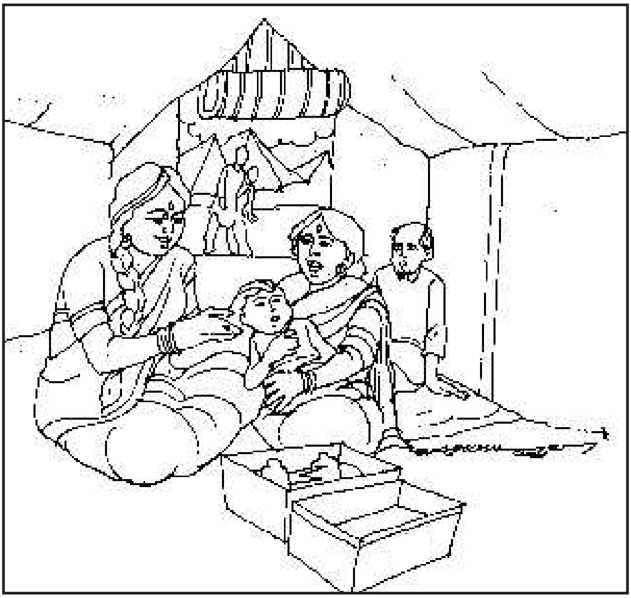

- लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना।

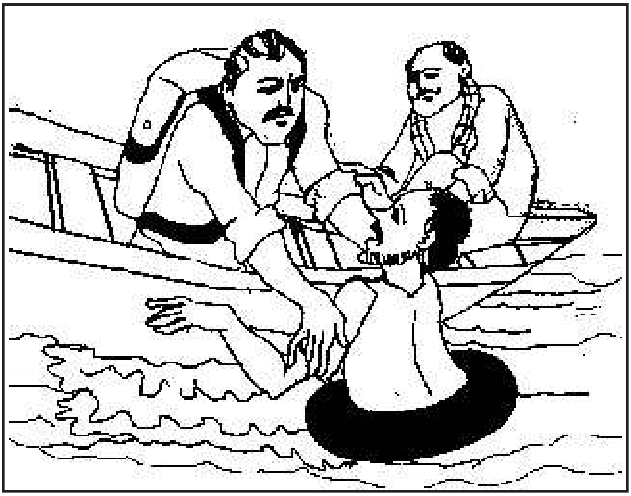

- घायल लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।

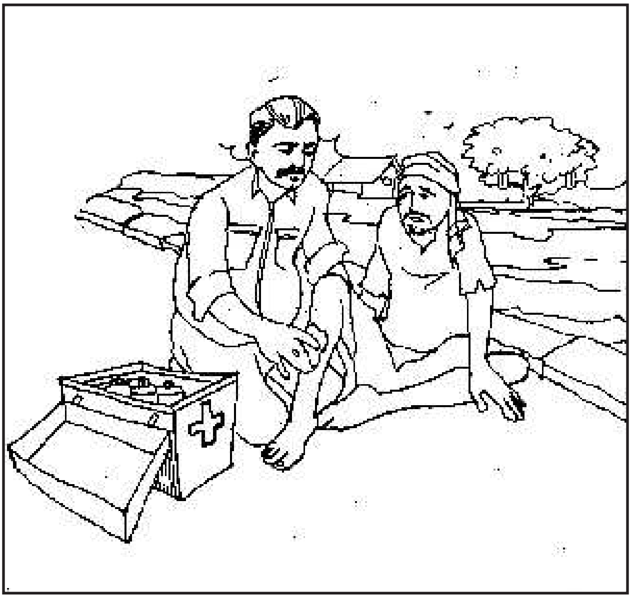

- अगर किसी प्रकार की जान की हानि हुई हो तो मृतकों को बाहर निकालना।

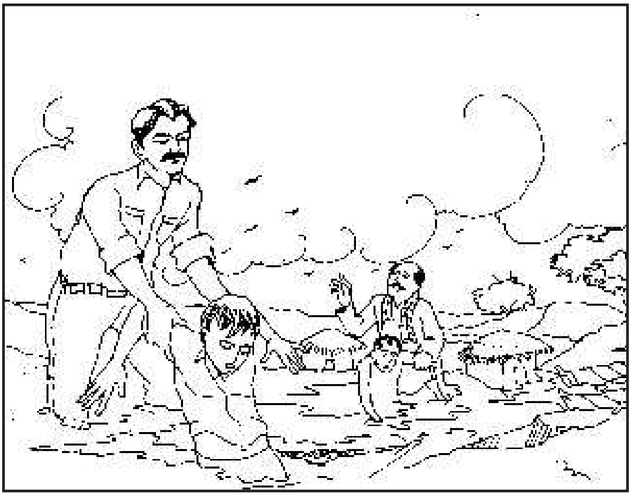

बाढ़ के दौरान खोज और बचाव दल की कार्य योजना

दयाराम ने राहतपुरवा में ये जानकारी भी दी कि खोज और बचाव कार्य की सफलता के लिए कार्यदल और गाँव के लोगों का एक दल के रूप में काम करना बहुत जरूरी है, दल का नेता और उपनेता भी होना चाहिए, दल की एक कार्य योजना होनी चाहिए जिसमें सभी को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट जानकारी हो।

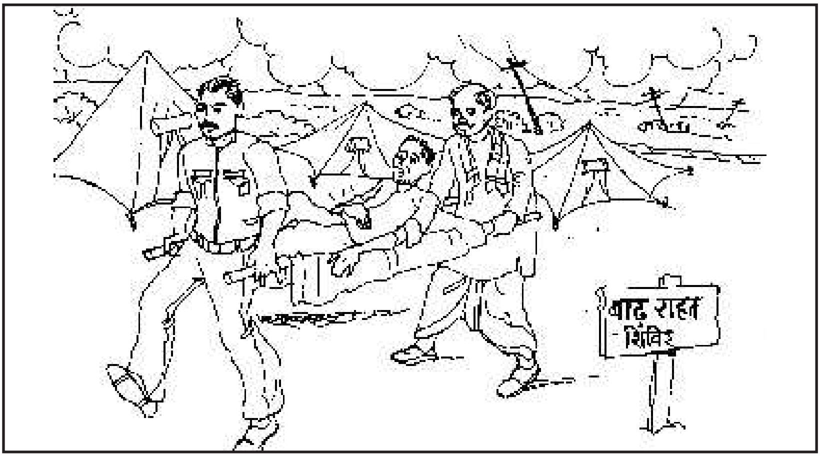

खोज और बचाव कार्य

विभिन्न कार्यदलों के साथ समन्वय और समुदाय की मदद करना

खोज और बचाव कार्य की प्रक्रिया

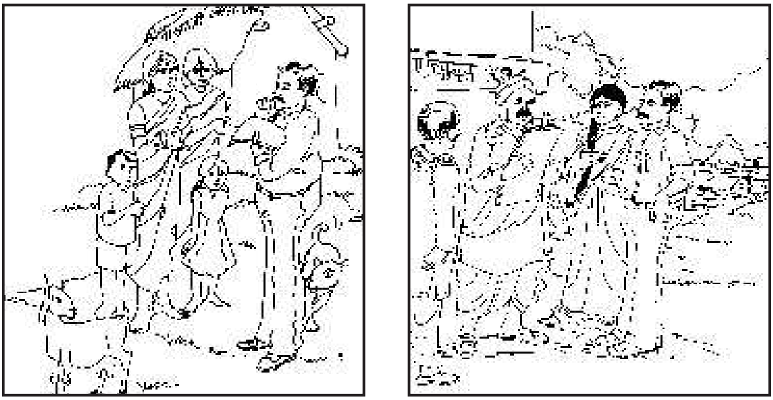

पहला चरण **'नुकसान का आंकलन'**

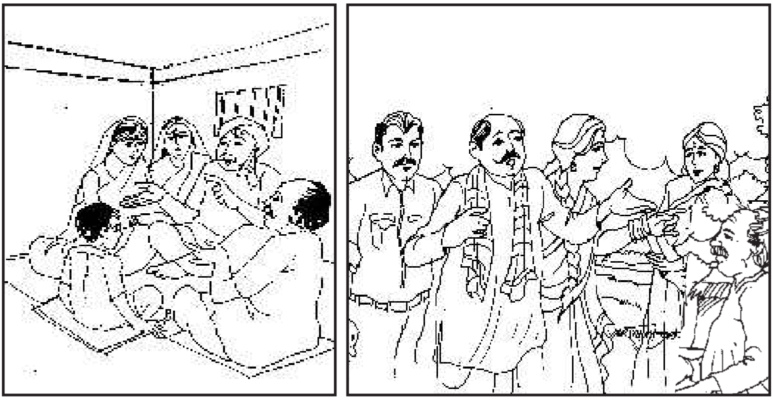

दूसरा चरण **'बचाव कार्य के लिए योजना बनाना'**

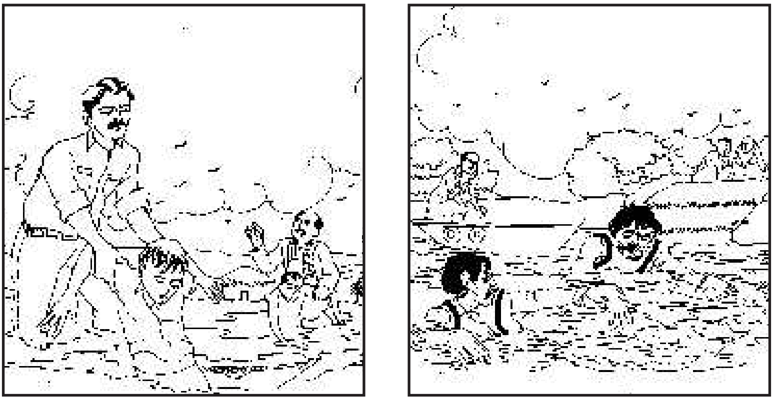

तीसरा चरण **'योजना के अनुसार खोज और बचाव का काम'**

ऐसे ही एक बैठक के दौरान राहतपुरवा के एक उत्साही नौजवान ने दयाराम से पूछा कि खोज और बचाव का काम कैसे किया जाता है। दयाराम ने तब गांव वालों को बताया कि इस काम के तीन चरण हैं,

- पहला चरण **'नुकसान का आंकलन'** जिसमें ये जानने की कोशिश करनी होती है कि आपदा से कितना नुकसान हुआ है इससे बचाव की योजना बनाना आसान हो जाता है। इस कार्य में खोज और बचाव में लगे गांव वाले या तो खुद-देखकर, सुनकर और महसूस करके नुकसान के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं या प्रधान और गांव के लोगों से पूछ सकते हैं।

- दूसरा चरण **'बचाव कार्य के लिए योजना बनाना'** जिसमें खोज और बचाव कार्यदल अपने पास उपलब्ध बचाव सामग्री के अलावा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामान जैसे- बांस, रस्सी, बड़े बर्तन आदि से बचाव के उपकरण बनाकर और गांव के क्षमतावान लोगों को साथ लेकर बचाव की योजना बनाते हैं

- आखिर में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चरण है **'योजना के अनुसार खोज और बचाव का काम'** शुरू करना।

बैठक के बाद भी राहतपुरवा में खोज और बचाव कार्यदल द्वारा बतायी गयी बातों पर जोरों से चर्चा होती रही। गाँव वालों को यह

जानकारी उपयोगी लगी ओर रोचक भी, लेकिन वे फिर भी स्पष्ट नहीं थे कि वे लोग किस प्रकार बतायी गयी जानकारी का उपयोग बाढ़ के दौरान करेंगे। राहतपुरवा निवासियों की यह दुविधा दयाराम को भी पता चली, तब दयाराम सहित खोज और बचाव कार्यदल ने गाँव वालों को स्पष्ट बताया कि खोज और बचाव कार्यदल की बाढ़ से पहले, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद अलग-अलग भूमिका होती है और वह अगली तीन बैठकों में एक-एक कर तीनों परिस्थितियों में खोज और बचाव कार्यदल की भूमिका पर चर्चा करेंगे।

मई माह शुरू हो चुका था, और आज माह के पहले मंगल को खोज और बचाव कार्यदल की गांव वालों के साथ बैठक थी जिसमें दयाराम 'बाढ़ के पहले' उसके कार्यदल की भूमिका पर चर्चा करने वाला था। दयाराम आज जब अपने कार्यदल के सदस्यों के साथ बैठक के लिए आया तो उसके साथ कुछ सामान भी था, यह गैर सरकारी संस्था द्वारा दिया गया 'बचाव किट' था, दयाराम ने गांव वालों को बचाव किट का एक-एक सामान दिखाया और उसका उपयोग भी बताया। उसके बाद स्थानीय सामानों से तैयार उपकरण भी दिखाए, और गाँव में उपलब्ध नाव आदि को याद दिलाया। चर्चा शुरू करते हुए दयाराम ने बताया कि -

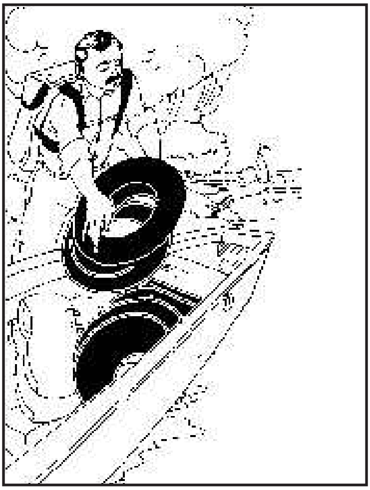

बचाव के उपकरण तैयार रखना

- बाढ़ से पहले ही खोज और बचाव कार्यदल को सभी उपयोगी बचाव के उपकरण और बचाव किट को जांच कर तैयार रखना चाहिए।

- बाढ़ के दौरान कौन से सुरक्षित जगह पर अपने परिवार और जानवरों को ले जाना है यह चिन्हित कर लेना चाहिए। साथ ही गाँव के सभी लोगों के साथ चर्चा करके सुरक्षित स्थल निश्चित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह जानकारी गाँव के सभी लोगों को हो।

सुरक्षित जगह को पहले से चिन्हित करके रखना

परिवार की खोज और बचाव कार्ययोजना निर्माण

- अपने परिवार की बचाव योजना पहले ही बना लेनी चाहिए। इस बचाव कार्य योजना में यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सा काम घर का कौन सा व्यक्ति करेगा। अपने परिवार की बचाव कार्य योजना बनाना इसलिए भी जरूरी है यदि आपदा/ बाढ़ के समय घर का कोई व्यक्ति न हो तो उसका कार्य अन्य कोई व्यक्ति कर लेगा।

- खोज और बचाव के काम में मददगार सरकारी अधिकारियों जैसे-जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, जिला आपदा कार्यालय, प्रधान, बी0डी0ओ0 आदि के फोन नम्बरों की सूची पहले से बना लेनी चाहिए।

जरूरी फोन नम्बरों की सूची तैयार करना

गाँव में उपस्थित विशेष जरूरत वाले निःसहाय लोगों जैसे- विकलांगों, बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की भी सूची तैयार कर लेनी चाहिए। साथ ही चारों अन्य कार्यदलों के सदस्यों से भी समय-समय पर मिलकर उनकी और अपनी तैयारियों की जानकारी एक-दूसरे को बतानी चाहिए।

इस बैठक के बाद राहतपुरवा निवासियों ने दयाराम से वादा किया कि अगली चर्चा से पहले ये लोग अपने घरों की बचाव योजना जरूर तैयार कर लेंगे।

जो वादा किया था वो गाँव वालों ने निभाया, जब दयाराम अपने कार्यदल के सदस्यों के साथ राहतपुरवा में बैठक करने पहुंचा तो गाँव वालों ने गाँव के निःसहाय लोगों की सूची दी, चिन्हित सुरक्षित जगह की जानकारी दी और अपने-अपने परिवारों की बचाव योजना के बारे में भी बताया दयाराम ने भी अपनी भूमिका पूरी तरह निभाते हुए गाँव वालों को जरूरी फोन नम्बरों की सूची दी और कहा कि इसे पुरवा में कई स्थानों पर लिख भी दिया गया है। आज की बैठक में 'बाढ़ के दौरान' खोज और बचाव कार्यदल की भूमिका की चर्चा शुरू हुई। दयाराम ने बताया कि खोज और बचाव का उद्देश्य आपदा में सभी फंसे हुए इंसानों और जानवरों को बचाना होता है। निःसहाय लोगों की विशेष जरूरतों का ध्यान रखना होता है और जरूरत पड़ने पर प्राथमिक उपचार उपलब्ध

पशुधन का बचाव

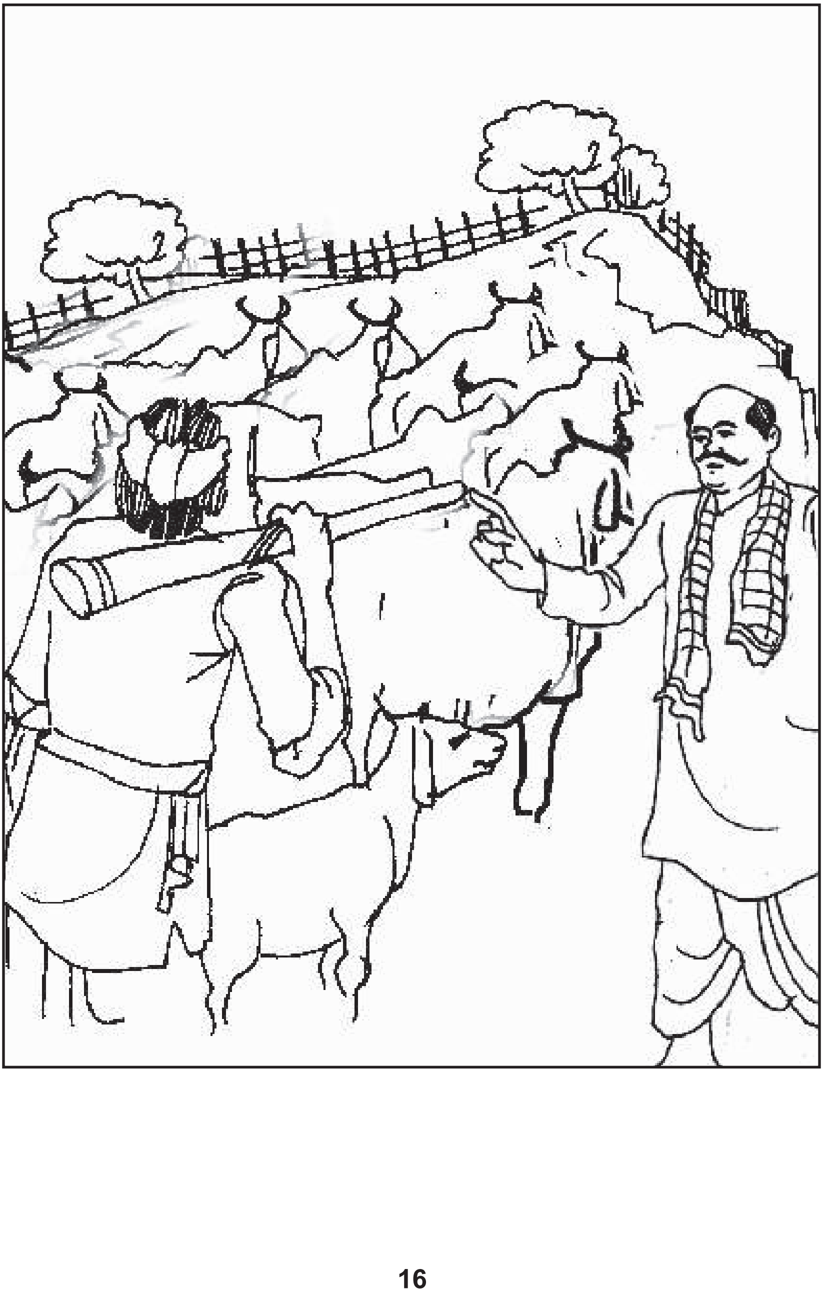

कराना होता है बाढ़ की स्थिति की जानकारी रखना भी होता है। आज की बैठक में दयाराम ने 'बाढ़ के बाद' की भूमिका पर भी चर्चा की जिसमें बताया कि कार्यदल का मुख्य कार्य नुकसान का आंकलन करना है ताकि जरूरतमंद व्यक्ति और परिवारों को उचित राहत मिल सके। उधर दुखनपुरवा में राहतपुरवा में चल रही तैयारियों का मजाक उड़ाया जा रहा था। दुखनपुरवा निवासी कह रहे थे कि बाढ़ में या किसी भी आपदा के समय जानवर भी अपना बचाव करते हैं इसमें सीखने जैसा क्या है।

अगस्त माह में जब बाढ़ आयी तब राहतपुरवा में पहले की तुलना में समन्वित माहौल था, सभी परिवारों ने अपनी योजना के अनुसार, खोज और बचाव कार्यदल की मदद से अपने जानवरों और परिवारजनों को सुरक्षित स्थल पर पहुंचा दिया था अपने अनाज जरूरी सामान और कागजों को भी सुरक्षित कर लिया था। इस बार राहतपुरवा में मिलजुलकर बाढ़ का सामना किया गया। जबकि दुखनपुरवा की स्थिति दुखद थी। कई परिवारों के जानवर डूब गए। साथ ही एक दलित परिवार की तीन साल की बेटी भी लापता हो गयी। वहीं एक बूढ़े दम्पति को दो दिन बाढ़ में ही बिताने पड़े क्योंकि उनकी झोपड़ी गाँव में बहुत अन्दर पड़ती है और कोई भी बचाव नाव उनको लेने नहीं पहुँची।

दुखनपुरवा में बड़े दुःख का वातावरण था, सभी सोच रहे थे कि

उनसे बड़ी गलती हुई जो उन लोगों ने गैर सरकारी संस्था की बात नहीं सुनी। राहतपुरवा में उपलब्ध संसाधनों, निःसहाय समूहों/ लोगों की जानकारी, पशुओं की जानकारी तैयार की गयी थी और गाँव के सभी लोगों की जानकारी लिखित रूप में भी मौजूद थी। क्षेत्रीय पंचायत और जिला स्तर के अधिकारियों को भी इस बारे में सही जानकारी थी। इसलिए सरकारी राहत मिलने में भी राहतपुरवा वासियों को बहुत आसानी हुई। जबकि दुखनपुरवा में बहुत लड़ाई-झगड़ा हुआ जिसका फायदा गाँव के ताकतवर लोगों ने उठाया और निःसहाय, पीड़ित लोग/परिवार राहत पाने में चूक गए ।

समुदाय की बचाव क्षमता को बढ़ाना

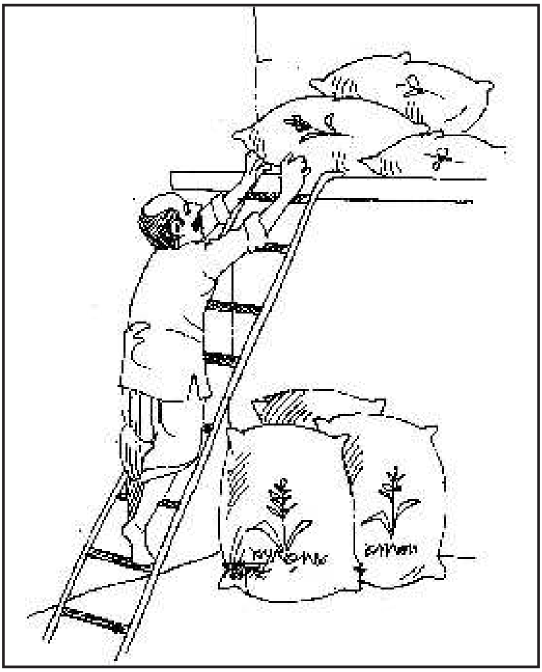

सहभागी शिक्षण केन्द्र के बारे में....

सहभागी शिक्षण केन्द्र सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत नागर समाज संगठन है जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े समुदायों के सशक्तीकरण के लिए समर्पित है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र अच्छे अभिशासन हेतु जन-सहभागिता जगाने के कार्यों में संलग्न है। यह संस्थान मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखण्ड में कार्यरत है। सामाजिक परिवर्तन के कार्यक्रमों में ग्राम्य स्तर/ग्रासरूट पर कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों एवं नागर समाज के अन्य संगठनों को आवश्यक शैक्षणिक सहयोग प्रदान कर उन संस्थाओं व संगठनों की क्षमतावृद्धि करना इस केन्द्र का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

इस उद्देश्य पूर्ति हेतु केन्द्र द्वारा ग्राम्य स्तर पर कार्यरत संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी, मध्य स्तर एवं क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से महिला नेतृत्व विकास प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, संस्था प्रबन्धन, लेखांकन एवं वित्तीय प्रबन्धन, नेतृत्व विकास प्रशिक्षण, पी.आर.ए. एवं माइक्रोप्लानिंग आदि प्रमुख हैं। साथ ही केन्द्र द्वारा कार्यनीतिक नियोजन,परिणाम आधारित कार्यक्रम नियोजन व प्रबंधन तथा आन्तरिक संगठन प्रबन्धन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर लघु अवधीय प्रशिक्षण व कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के बाद केन्द्र द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रभावी व कारगर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास एवं प्रयोग किये जा रहे हैं। इस दृष्टि से केन्द्र द्वारा स्थानीय स्वशासन के सशक्तीकरण हेतु राज्य व जिला स्तरीय सदर्भ केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

स्थानीय स्वशासन के मुद्दे पर केन्द्र द्वारा अनेक अभिनव प्रयास किये जा रहे हैं। इसमें विभिन्न कर्ताओं की क्षमतावृद्धि के साथ साथ जानकारी का आदान-प्रदान, स्थानीय स्वशासन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन, सम्बन्धित घटकों के साथ अन्तर्सम्बन्ध निर्माण एवं विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर पैरवी का कार्य किया जा रहा है। जन केन्द्रित विकास की दशा एवं दिशा को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से केन्द्र 10 जनपदों में नगरीय एवं ग्रामीण स्वशासन इकाईयों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

इसके अतिरिक्त विकास में संलग्न विभिन्न कर्ताओं को अनुश्रवण मूल्यांकन, संस्थागत विकास, टीम बिल्डिंग, शोध एवं अध्ययन, प्रक्रिया दस्तावेजीकरण आदि के संदर्भ में केन्द्र द्वारा परामर्शी सेवायें भी प्रदान की जाती हैं। सहभागी शिक्षण केन्द्र ने उत्तर प्रदेश के चार क्षेत्रों में अपने को स्थानीय स्वशासन के साथ विभिन्न मुद्दों पर जैसे- सामाजिक अंकेक्षण, पलायन, आपदा प्रबंधन, बालिका शिक्षा व वन अधिकार आदि के क्षेत्रों में नवाचार प्रयोग किया है। इन प्रयोगों से निकले अनुभवों को प्रशिक्षण और नीतिगत पैरवी हेतु उपयोग किया जाता है।

सहभागी शिक्षण केन्द्र

सहभागी रोड, छठा मील, पुलिस फायर स्टेशन के पीछे

सीतापुर रोड, लखनऊ-227 208 (उ.प्र.)

फोन : (0522) 6980124, 9452293783, 9616231499

9935302536, 9935321481

ईमेल: info@sahbhagi.org वेबसाइट: www.sahbhagi.org